न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2024(GCMS 2024/191)
(आरटीआई संख्या 212802946621203)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिह तहसील रायसिंहनगर **जिला अनूपगढ़, मोबाईल नम्बर 88750—89377**

बनाम

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने, की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

1. मण्डी रायसिंहनगर के 1998 का मण्डी प्लान नक्शे की 3(तीन) प्रमाणित प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.अभि./2024/148/04.09.2024 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2024 में चाही गई सूचना के संबंध में क्र.सं. 1 में मण्डी रायसिंहनगर के 1928 का मंडी प्लान नक्शे की 03 प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार के तहत चाही गई है। जो उक्त पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

लोक सूचना अधिकार एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:32 IST
Reason: SelfAttested